

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि पत्र ::

संख्या-7/स्था0-04-18/2019(खण्ड-II)सा0प्र0...../पटना-15,दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र में नाम एवं उनके पत्राचार पते में अशुद्धि हेतु समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर शुद्धि पत्र निम्नवत् है:-

1. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-21 पर अंकित नाम आशुतोष अभिमन्यु के पत्राचार पते में अंकित थाना-अहियारपुर के स्थान पर अहियापुर पढ़ा जाए।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-104 पर अंकित नाम मो0 शारिक हैदर, पिता का नाम मो0 हैदर अली तथा पता हसीम टोला के स्थान पर एम डी शारिक हैदर, पिता का नाम हैदर अली तथा पता हलीम टोला पढ़ा जाए।
3. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-111 पर अंकित नाम अंजीता सिंह के स्थान पर अंजिता सिंह पढ़ा जाए।
4. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-209 पर अंकित नाम रितिका ऋषि के स्थान पर रितिका रिषि पढ़ा जाए।
5. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-211 पर आनंद प्रसाद के पत्राचार पते में पता ग्राम-एकरी के स्थान एरकी पढ़ा जाय।
6. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-217 पर अंकित अभ्यर्थी के नाम कणिका शर्मा के स्थान पर कनिका शर्मा पढ़ा जाए।
7. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक क्रम संख्या-218 पर अभ्यर्थी के नाम सुमन चन्द्र के स्थान पर सुमन चन्द्रा पढ़ा जाए।
8. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-271 पर अंकित अभ्यर्थी के नाम अंकित रंजन के स्थान पर अंकित राजन पढ़ा जाए।

9. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/ स्था0-04-18/ 2019सा0प्र0 164 दिनांक 06.01.2020 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी सूची क्रमांक-242 पर अंकित अभ्यर्थी के पिता का नाम संतोष कुमार निराला के स्थान पर सतीश कुमार निराला पढ़ा जाए।

अधिसूचना संख्या-164 दिनांक 06.01.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष बिंदु यथावत रहेंगे।

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/ स्था0-04-18/ 2019(खण्ड-II)सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/ स्था0-04-18/ 2019(खण्ड-II)सा0प्र0.1251.../पटना-15, दिनांक.23.1.20

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से/संबंधित नवनियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (विभाग) व्यक्तिक दावा कोषांग, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/2020

सरकार के अवर सचिव।